उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध वाद संख्या – 02/2017

राज्य बनाम् राधा यादव

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
07-12-2018	**– आदेश –** अभिलेख उपस्थापित। अभिहित पदाधिकारी–सह–अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ का पत्र संख्या–261, दिनांक–24.11.2016 द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् कार्रवाई हेतु अनुशंसा पत्र के आलोक में वाद अंगीकृत करते हुए, द्वितीय पक्ष राधा यादव, पिता–विक्रम यादव, साकिन–ब्लॉक मोड़ (NH-33) रामगढ़ कैन्ट, रामगढ़, पो०–रामगढ़, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ को सूचना निर्गत करते हुए वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभिहित पदाधिकारी–सह–अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् कार्रवाई हेतु अनुशंसा पोषणीय नहीं है, इन्होंने आवेदन स्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई बन्द करने हेतु अनुरोध किया है। अभिहित पदाधिकारी–सह–अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्राप्त कार्रवाई हेतु अनुशंसा पत्र एवं द्वितीय पक्ष की ओर से दायर कारण पृच्छा का अवलोकन किया, स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष द्वारा जिस वस्तु की बिक्री की जा रही थी, वह उनके द्वारा उत्पादित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् किसी तरह की कार्रवाई नियम संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त परिपेक्ष्य में अभिहित पदाधिकारी–सह–अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् कार्रवाई हेतु अनुशंसा को **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित 07/12/18 उपायुक्त, रामगढ़। 07/12/18 उपायुक्त, रामगढ़।	